लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5213

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाएगा

मसाला निर्यात में सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी चिंताए

5213. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत वर्ष में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण अस्वीकृत भारतीय मसालों की निर्यात खेपों की संख्या कितनी थी;
(ख) निर्यातित मसालों के गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण मानकों में सुधार के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं; और
(ग) भविष्य में गुणवत्ता को लेकर निर्यात को अस्वीकृत करने की घटना को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विनियमों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत को लागू खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंडों के साथ मसालों और मसाला उत्पादों के गैर-अनुपालन के कारण आयातक देशों/क्षेत्रों से कुल 183 अस्वीकृति/वापसी अलर्ट प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान भारत से इन देशों को निर्यात किए गए मसालों और मसाला उत्पादों की कुल खेपों की संख्या 31813 होने का अनुमान है, जिनमें से 183 अलर्ट जारी किए गए हैं, जो कि केवल 0.58% की अलर्ट दर है। दुनिया भर के देशों में दूषित पदार्थों, अवशेषों, विषाक्त पदार्थों आदि के लिए अलग-अलग मानक/स्तर हैं। आयातक देश के लागू मानकों के साथ मसाला निर्यात खेप की विफलता, निर्यात खेपों को वापस बुलाना आदि निर्यात-आयात क्षेत्र में सामान्य उदाहरण हैं और ये विशिष्ट निर्यात खेपों के लिए निर्देशित होते हैं और निर्यातक देश से उत्पाद पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

मसाला बोर्ड को मसालों के निर्यात संवर्धन और भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों (52 अनुसूचित मसाले और इसके उत्पाद) के गुणवत्ता मूल्यांकन तथा इलायची (छोटी एवं बड़ी) के अनुसंधान एवं विकास का कार्य सौंपा गया है। बोर्ड अपने अधिदेश के अनुरूप, पूर्व अस्वीकृतियों और गैर-अनुपालनों के साथ-साथ आयातक देशों की आवश्यकताओं के आधार पर चुनिंदा स्थानों के लिए चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन कर रहा है।

निर्यात के लिए बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, निर्यात खेपों को अनिवार्य शिपमेंट-पूर्व नमूनाकरण, परीक्षण और निकासी के अधीन किया जाता है। अनिवार्य परीक्षण के अंतर्गत मसालों और मापदंडों की सूची को बोर्ड द्वारा विनियामक आवश्यकताओं, उभरते जोखिमों, आयातक देशों द्वारा वापस बुलाए जाने आदि के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत से निर्यात किए जाने वाले मसाले गुणवत्ता और सुरक्षा के लागू मानकों का अनुपालन करते हैं।

बोर्ड ने प्रमुख निर्यात केंद्रों में अत्याधुनिक, एनएबीएल मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (क्यूईएल) स्थापित की हैं, जैसे केरल में कोचीन, महाराष्ट्र में मुंबई, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन, नई दिल्ली में नरेला, गुजरात में कांडला और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, जो मसालों की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन करते हैं। केरल में इडुक्की और राजस्थान में जोधपुर में भी परीक्षण सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने भारत के विभिन्न राज्यों में 19 एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनकी सेवाएं आवश्यकतानुसार मसाला निर्यात खेपों के विश्लेषण के लिए ली जाती हैं। बोर्ड के क्यूईएल विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित मानक निर्धारण गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड के क्यूईएल ने मसालों की निर्यात खेपों के नमूनों में 1,50,004 मापदंडों का विश्लेषण किया है। निर्यात की जाने वाली खेपों की ज्ञात एवं उभरती गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के लिए जांच की जाती है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने निर्यात अलर्ट के मामलों को संभालने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. बोर्ड ने ऐसी विफलता/रिकॉल का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारियों वाली एक 'तकनीकी-वैज्ञानिक समिति' का गठन किया है।

2. समिति सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करती है, मूल कारण विश्लेषण सहित चेतावनी से संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण करती है और यदि आवश्यक हो तो वापस बुलाए गए माल के प्रसंस्करण और विनियामक परीक्षण में शामिल सुविधाओं/प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करती है।

3. निरीक्षण के दौरान प्राप्त निष्कर्षों का समिति द्वारा विश्लेषण किया जाता है और तदनुसार समिति उन निर्यातकों, जिनके उत्पादों पर अलर्ट लगा हुआ था, तथा मसाला उद्योग के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

4. समिति की सिफारिशों के साथ-साथ मसालों के निर्यात में उभरते मुद्दों/जोखिमों पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, बोर्ड प्रासंगिक मुद्दों पर निर्यातकों को संवेदनशील बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश, परिपत्र, एडवाइज़री आदि जारी करता है, ताकि मसालों की निर्यात खेपों का लागू मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त, मसाला बोर्ड उन देशों में स्थित भारतीय दूतावास/मिशन के साथ भी इस मुद्दे को उठाता है, जिन्होंने भारत से मसाले और मसाला उत्पाद वापस मंगाए हैं, तथा बोर्ड को इस अलर्ट को संबोधित करने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी देता है, ताकि संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया जा सके। इसके अलावा, यदि आवश्यक समझा जाए तो बोर्ड भारतीय दूतावास/मिशन के माध्यम से आयातक देश के विनियामक निकायों के साथ तकनीकी चर्चा करता है, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मसाला बोर्ड ने मसालों और कलिनरी जड़ी बूटियों में सुसंगत गुणवत्ता मानकों के विकास के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी) के तहत मसालों और कलिनरी जड़ी बूटियों पर एक नई कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) की स्थापना के लिए पहल की थी। सीसीएससीएच ने 16 मसालों के लिए 14 कोडेक्स मानकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है - अर्थात काली/सफेद/हरी मिर्च, जीरा, थाइम, लहसुन, लौंग, ओरेगेनो, तुलसी, अदरक, जायफल, चिली पेपर और पेपरिका, केसर, इलायची, हल्दी, आलस्पाइस, स्टार ऐनीज़ और जूनिपर बेरीज़।

*****